


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 932]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2016/चैत्र 30, 1938

No. 932]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2016/CHAITRA 30, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2016

का. आ. 1443(अ).—मंत्रिमंडल की दिनांक 06 जनवरी, 2016 को हुई बैठक के कार्यवृत्त द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुसरण में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत प्रदान किये गये ऋणों को गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से एतद्वारा निम्नलिखित योजना बनाती है।

अध्याय I

प्रस्तावना

1. शीर्षक और आरंभ होने की तारीख

- i. यह योजना सूक्ष्म इकाई ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के नाम से जानी जाएगी।
- ii. यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से प्रवृत्त होगी और इस योजना के अन्तर्गत 8 अप्रैल, 2015 से स्वीकृत सूक्ष्म ऋण निम्नलिखित आधार पर कवर किए जाएँगे।
- iii. इस निधि का मुख्य उद्देश्य पात्र सूक्ष्म इकाइयों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करने में संलग्न बैंकों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/सूक्ष्म वित्त संस्थाओं/अन्य वित्तीय मध्यवर्तियों द्वारा स्वीकृत विनिर्दिष्ट सीमा तक के ऋणों के लिए गारंटी देना होगा।

2. परिभाषाएँ

इस योजना के उद्देश्य से-

- i. **'निधि'** से अभिप्रेत है भारत सरकार द्वारा स्थापित सूक्ष्म इकाई ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू), जिसका उद्देश्य बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ अल्प वित्त संस्थाओं /अन्य वित्तीय मध्यवर्तियों द्वारा पात्र उधारकर्ताओं को प्रदान किए गए अल्प ऋणों के प्रति भुगतान की गारंटी देना है।
- ii. "एनसीजीटीसी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विभिन्न ऋण गारंटी निधियों को संचालित करने के लिए न्यासी के रूप में भारत सरकार द्वारा 28 मार्च, 2014 को स्थापित राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी, भारत सरकार द्वारा स्थापित, समय-समय पर स्थापित की जाने वाली कंपनी है।
- iii. "पोर्टफोलियो" से अभिप्राय है, पीएमएमवाई के शुभारंभ की तिथि अर्थात् अप्रैल 08, 2015 को या उसके बाद पात्र सूक्ष्म मंजूर संचयी ऋण, जिन्हें ऋणदात्री संस्था की बहियों में एक अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। पोर्टफोलियो में तदनुसूची मंजूर ऋण की राशि की परिणति पोर्टफोलियो बनने के (आधार वर्ष) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर होगी। तदनुसार, नया पोर्टफोलियो अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के आरंभ से शुरू होगा।
- iv. पोर्टफोलियो के आधार वर्ष" का अर्थ है प्रारम्भ का वर्ष और पोर्टफोलियो को मूर्त रूप प्रदान करने का वर्ष। दूसरे शब्दों में, वह वित्तीय वर्ष जिसमें पोर्टफोलियो बनाया गया है।
- v. "पोर्टफोलियो को मूर्त रूप प्रदान करने की तिथि" वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) है, जिसमें पोर्टफोलियो बनाया गया (आधार वर्ष) है।
- vi. "पोर्टफोलियो की अवधि" पोर्टफोलियो के क्रिस्टलीकरण की तारीख की समाप्ति से पूर्ण 3 वित्तीय वर्ष हैं। अतः, पोर्टफोलियो की कुल अवधि आधार वर्ष सहित तीन पूर्ण वित्तीय वर्ष होगी।
- vii. "चूक की राशि", से अभिप्राय गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) की राशि से है, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो खाता अल्प ऋण के मूर्तरूप पोर्टफोलियो के भीतर एनपीए बनने की तारीख से निरन्तर 6 महीने की अवधि से अधिक एनपीए बना रहता है।
- viii. ऋण-प्रदाता संस्था के लिए **'ब्याज दर'** से अभिप्रेत है वह दर जो उस ऋण-प्रदाता संस्था ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार समय-समय पर घोषित की हो, जिसके आधार पर ऋण पर लागू ब्याज-दर का निर्धारण किया जाएगा।
- ix. **"उधारकर्ता"** से अभिप्रेत है अल्प ऋण लेने के लिए ऋण-प्रदाता संस्था से ऋण दस्तावेज़ निष्पादित करने वाली सूक्ष्म इकाई।
- x. **"संपार्श्विक प्रतिभूति"** से अभिप्रेत है वह प्रतिभूति जो प्राथमिक प्रतिभूति/ उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के व्यक्तिगत दायित्व के अतिरिक्त प्रदान की गई हो।
- xi. **"अल्प ऋण"** से अभिप्रेत है ऋण-प्रदाता संस्था द्वारा पात्र उधारकर्ता को ऋण के रूप में दी गई वित्तीय सहायता (वर्तमान में 10 लाख रुपए), जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वावधान में, मुद्रा लि. ने अपने प्रारंभिक उत्पाद/योजनाओं का निर्माण कर लिया है। इन उत्पादों को 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' नाम दिया गया है, जिनसे लाभग्राही सूक्ष्म इकाई/उद्यमी की संवृद्धि/विकास तथा निधि आवश्यकताओं और उनके अगले चरण के उन्नयन/संवृद्धि के संदर्भ बिन्दु का द्योतन होता है।

- शिशु: 50,000 तक के ऋणों को कवर किया जाता है।
- किशोर : रु. 50,000/- से ऊपर और रु. 5 लाख तक के ऋणों हेतु
- तरुण : रु. 5 लाख से ऊपर और रु 10 लाख तक के ऋणों हेतु

इसके अलावा, पीएमजेडीवाई खाते के अंतर्गत स्वीकृत 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट ऋण भी ऋण गारंटी निधि के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु पात्र होगा।

- xii. "पात्र उधारकर्ता" से अभिप्रेत है एमएसएमईडी अधिनियम में परिभाषित, 2006 को शामिल न किया जाए। ऋण की विनिर्दिष्ट सीमा रु. 10 लाख अथवा ऐसी कोई अन्य राशि होगी जो समय-समय पर निधि द्वारा निर्धारित की गई हो। इसके अलावा, पीएमजेडीवाई खाते के अंतर्गत स्वीकृत 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट ऋण भी ऋण गारंटी निधि के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु पात्र होगा।
- xiii. "गारंटी कवर" से अभिप्रेत है ऋण-दात्री संस्था द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधा के संबंध में चूक की राशि के आधार पर प्रति पोर्टफोलियो अधिकतम कवर उपलब्ध है। चूक की पहली 5% राशि का वहन पात्र ऋणदात्री संस्थान द्वारा किया जाएगा। 5% से अधिक की चूक की राशि (यदि लागू हो) का निपटान यथानुपात आधार पर 50% की हद तक निधि द्वारा किया जाएगा जो कि किसी लेखापरीक्षा द्वारा जारी पात्र दाता राशि की पुष्टि करने वाले प्रमाणपत्र के प्राप्ति के अध्येधीन होगा।
- xiv. "पात्र ऋणदात्री संस्था" से अभिप्रेत है कोई बैंक अथवा अल्प वित्त संस्था (एमएफआई)/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)/ अन्य वित्तीय मध्यवर्ती जो निधि की प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर विधिवत अनुमोदित पात्रता मानदंड के अनुरूप हो, और सूक्ष्म इकाइयों को ऋण-प्रदायगी का कारोबार करती हो।
- xv. "सदस्य ऋणदात्री संस्था(एँ)" से अभिप्रेत है कोई बैंक अथवा अल्प वित्त संस्था (एमएफआई)/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)/ अन्य वित्तीय मध्यवर्ती जो निधि की प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर विधिवत अनुमोदित पात्रता मानदंड के अनुरूप हो, और सूक्ष्म इकाइयों को ऋण-प्रदायगी का कारोबार करती हो और जिसने गारंटी प्राप्त करने के लिए निधि के साथ करार निष्पादित किया हो। निधि कार्य-निष्पादन की समीक्षा के उपरान्त ऋणदात्री संस्था में से किसी को भी सूची से हटा सकती है।
- xvi. "महत्वपूर्ण तारीख" से अभिप्रेत है वह तारीख, जब पात्र उधारकर्ता के संबंध में कवर की गई राशि पर गारंटी शुल्क ऋणदात्री संस्था द्वारा निधि को देय हो जाती है।
- xvii. "गैर-निष्पादक आस्ति" से आशय ऐसी आस्ति से है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत हो।
- xviii. "योजना" का अर्थ है सूक्ष्म इकाई ऋण गारंटी निधि।

अध्याय II

योजना का दायरा और सीमा

3. निधि द्वारा गारंटियाँ

- योजना के अन्य प्रावधानों के दायरे में रहते हुए, निधि ऐसी ऋणदात्री संस्था द्वारा पात्र सूक्ष्म इकाई को प्रदत्त ऋणों के संदर्भ में ऋणदात्री संस्था द्वारा प्रदान किए गए अल्प ऋणों की चुकौती में चूक के प्रति गारंटी प्रदान करने का वचन देती है, जिसने इस उद्देश्य के लिए निधि के साथ आवश्यक करार निष्पादित किया हो।
- निधि को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह किसी ऋणदात्री संस्था द्वारा भेजे गए किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करे जो अन्य दृष्टियों से योजना के निबंधनों व शर्तों की पूर्ति करता है।

4. योजना के अंतर्गत पात्र अल्प ऋण

निधि सदस्य ऋणदात्री संस्था(ओं) द्वारा पात्र उधारकर्ता को प्रदान की गई विनिर्दिष्ट सीमा (वर्तमान में रु. 10 लाख) के अल्प ऋणों को कवर करेगी, बशर्ते ऋणदात्री संस्था ऐसे मंजूर किए गए ऋणों के संबंध में गारंटी कवर के उस समयावधि में और प्रक्रियानुसार आवेदन करे जो इस उद्देश्य के लिए निधि द्वारा विनिर्दिष्ट हो। साथ ही यह शर्त भी है कि महत्वपूर्ण तारीख को खाते में ऋणदात्री संस्था के प्रति कोई अतिदेय न हो और/अथवा ऋण को ऋणदात्री संस्था की बहियों में गैर-निष्पादक आस्ति न वर्गीकृत किया गया हो। **साथ ही, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मंजूर की गई रु. 5,000/- की ओवरड्राफ्ट ऋण राशि भी ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवर किए जाने की पात्र होगी।**

यह नोट किया जा सकता है कि पीएमएमवाई के अंतर्गत अल्प ऋण जिसमें पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट शामिल है, जिसका संवितरण 8 अप्रैल, 2015 से किया गया है, योजना के अंतर्गत गारंटी कवर के लिए पात्र होगा।

निधि अपने विवेकानुसार उन सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं और/अथवा योजनाओं की एक सूची अनुमोदित/तैयार करेगी, जिनके लिए गारंटी कवर उपलब्ध होगा, अथवा ऐसी नकारात्मक सूची अनुमोदित/तैयार करेगी, जिनके लिए गारंटी कवर उपलब्ध नहीं होगा।

5. योजना के अंतर्गत अपात्र अल्प ऋण

निम्नलिखित अल्प ऋण इस योजना के अंतर्गत गारंटी देने के लिए पात्र नहीं होंगे:-

- ऐसा अल्प ऋण, जिससे संबंधित जोखिमों को किसी अन्य संस्था द्वारा परिचालित/संचालित किसी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से कवर किया गया है, उस सीमा तक जहाँ तक जोखिम को कवर किया गया है।
- ऐसा अल्प ऋण, जिससे संबंधित जोखिमों को सरकार अथवा किसी साधारण बीमाकर्ता अथवा बीमा, गारंटी अथवा क्षतिपूर्ति का व्यवसाय करने वाले किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ द्वारा अतिरिक्त रूप से कवर किया गया है, उस सीमा तक जहाँ तक जोखिम को कवर किया गया है।
- ऐसा अल्प ऋण जो वर्तमान में प्रभावी किसी कानून अथवा केन्द्र सरकार अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों अथवा अनुदेशों के अनुरूप अथवा उनके प्रावधानों की अनुरूपता में न हो।
- ऋणदात्री संस्था द्वारा मंजूर किया गया ऐसा ऋण जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे ऋणों के लिए निर्धारित ब्याज दरों अथवा ऐसी अन्य दर के अनुरूप न हो जो निधि की प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई हो, वह गारंटी कवर के लिए अर्ह नहीं होगा। किन्तु प्रचलित ब्याज-दर के परिदृश्य, ऋणदात्री संस्थाओं की आधार दरों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की ऋण नीतियों को ध्यान में रखते हुए निधि ऐसी अधिकतम सीमा को समय-समय पर संशोधित कर सकती है।

6. ऋणदात्री संस्था द्वारा करार निष्पादित किया जाना

कोई ऋणदात्री संस्था अपने द्वारा प्रदत्त अल्प ऋण के संबंध में तब तक गारंटी की हकदार नहीं होगी, जब तक उसने उक्त निधि द्वारा अपेक्षित रूप में उक्त निधि के साथ ऐसा करार न किया हो, जो ऋणदात्री संस्था द्वारा

प्रदत्त सभी पात्र अल्प ऋणों को उक्त योजना के अंतर्गत गारंटी के जरिए कवर करने के लिए हो, जिसके लिए योजना में प्रावधान किया गया है।

7. योजना के अंतर्गत अल्प ऋणदात्री संस्थाओं का उत्तरदायित्व

- i. ऋणदात्री संस्था भारतीय रिजर्व बैंक/निधि द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प ऋणों का मूल्यांकन करेगी और ऋण देने संबंधी सामान्य सावधानी के साथ उधारकर्ता के खाते(तों) का संचालन करेगी।
- ii. आधार वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो के एक भाग के रूप में ऋणदात्री संस्था 08 अप्रैल, 2015 को अथवा उसके बाद प्रभावी हुई स्वीकृतियों के बदले प्रदान किए गए अपने सभी बकाया ऋणों को एक तिमाही की समाप्ति (मार्च, जून, सितम्बर तथा दिसम्बर को समाप्त तिमाही) का जोड़ करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि पोर्टफोलियो के लागू रहने के दौरान अल्प ऋण खाते के संबंध में गारंटी कवर देने के लिए एनसीजीटीसी द्वारा आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- iii. एमएलआई को सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र/प्रबंधन प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्नलिखित प्रमाणित होगा :
 - (क) पोर्टफोलियो के सभी खाते 08 अप्रैल, 2015 की तिथि के उपरांत स्वीकृत पात्र अल्प ऋणों के अनुरूप है।
 - (ख) प्रारम्भिक पोर्टफोलियो में कवर हुए सभी खातों के साथ-साथ बाद में पोर्टफोलियो में शामिल किए गए नए खाते, मानक खाते हैं।
 - (ग) सभी खाते जो कि पोर्टफोलियो के भीतर एनपीए बन गए हैं तथा जिनके लिए दावा दायर नहीं किया गया है को उस पोर्टफोलियो में शामिल किया जाना है जिस पर गारंटी शुल्क देय है।
- iv. सांविधिक लेखापरीक्षक/प्रबंधन पोर्टफोलियो की अवधि/के चालू रहने के दौरान प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार क्रिस्टलाइज्ड पोर्टफोलियो की अनुप्रयोज्य राशि को पोर्टफोलियो के क्रिस्टलाइजेशन की तिथि से प्रत्येक वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक प्रमाणित करेगा।
- v. ऋणदात्री संस्था उधारकर्ता खाते की गहनता से निगरानी करेगी और चुकौती के लिए अनुवर्तन करेगी।
- vi. उक्त निधि द्वारा ऋणदात्री संस्था को गारंटी दावों का भुगतान कर देने से ऋणदात्री संस्था उधारकर्ता से ऋण की संपूर्ण बकाया राशि, लागू ब्याज सहित, वसूल करने के उत्तरदायित्व से किसी भी रूप में मुक्त नहीं हो जाती। ऋणदात्री संस्था सभी आवश्यक सावधानी बरतेगी और उधारकर्ता से प्राप्य अल्प ऋण की संपूर्ण राशि के लिए उधारकर्ता पर अवलंब बनाए रखेगी और बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई आरंभ करेगी, जिसमें उक्त निधि द्वारा सूचित की गई कार्रवाई भी शामिल है।
- vii. ऋणदात्री संस्था उन निर्देशों का पालन करेगी, जिन्हें गारंटीकृत खातों में वसूली सुगम बनाने के लिए अथवा ऋण गारंटीकर्ता के रूप में अपने हितों की सुरक्षा के लिए उक्त निधि समय-समय पर जारी करना ठीक समझे और ऋणदात्री संस्था ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगी।
- viii. ऋणदात्री संस्था किसी भी गारंटीकृत खाते के संबंध में प्राप्यराशियों की वसूली तथा उक्त निधि के हितों की रक्षा के लिए सभी संभव तरीकों से वैसा ही श्रम करेगी जैसा कि वह सामान्य रूप से तब करती जब उक्त निधि द्वारा कोई गारंटी न दी गई होती। ऋणदात्री संस्था गारंटी लागू करने से पहले या बाद में किसी भी ऐसी भूल-चूक से विशेष रूप से बचेगी, जो गारंटीकर्ता के रूप में निधि के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे। ऋणदात्री संस्था द्वारा उक्त निधि को तब विशेष रूप से सूचित किया जाना चाहिए, जब वह कोई ऐसा समझौता या व्यवस्था करे, जिसका प्रभाव व्यक्तिगत गारंटी(टियों) अथवा प्राथमिक प्रतिभूति का उन्मोचन या अधित्याग हो। इसके अतिरिक्त, ऋणदात्री संस्था उधारकर्ता के साथ किसी करार में एक शर्त निर्धारित करके अथवा अन्यथा उक्त निधि या उसकी नियुक्त एजेंसी के लिए यह अधिकार सुरक्षित करेगी कि निधि द्वारा चूककर्ता उधारकर्ताओं के नाम और विवरण प्रकाशित किए जा सकें।
- ix. ऋणदात्री संस्था आधार वर्ष सहित प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर निधि द्वारा यथा विनिर्धारित तरीके में लेनदेन स्तर पर पोर्टफोलियो के कार्यनिष्पादन की समीक्षा उपलब्ध कराएगा।

अध्याय III

शुल्क संरचना

8. शुल्क गारंटी

i. गारंटी कवरेज प्राप्त करने के लिए, उधारदात्री संस्था के सदस्य निम्नानुसार गारंटी शुल्क अदा करेंगे :

(क) **आधार वर्ष (पोर्टफोलियो निर्माण का वर्ष) के दौरान** गारंटी शुल्क का भुगतान पूरे वर्ष या बाधित अवधि अर्थात् उत्तरवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक, जैसा भी मामला हो, के संबंध में सूक्ष्म ऋण पोर्टफोलियो के तिमाही सृजित शेष राशि की बकाया राशि की तदनु रूप राशि स्वीकृत करने पर किया जाएगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे स्वीकृत मामले, जिन्हें पोर्टफोलियो के चालू रहने के दौरान रद्द/पुनर्भुगतान/पूर्वभुगतान/अधिकार में लिया गया हो, के संबंध में पोर्टफोलियो के अंतर्गत ऐसे स्वीकृत मामलों के संबंध में कोई गारंटी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और कोई गारंटी कवर लागू नहीं होगा।

(ख) **बाद के वर्षों में**-गारंटी शुल्क का भुगतान बकाया पोर्टफोलियो के चालू रहने के दौरान निर्धारित पोर्टफोलियो की शेष राशि (एनपीए में परिवर्तित खाते सहित) के अनुरूप स्वीकृत राशि पर किया जाएगा और गारंटी वित्तीय वर्ष के अंत तक वैध होगी। पोर्टफोलियो में एनपीए खातों के संबंध में गारंटी शुल्क का भुगतान ऐसे खातों के संबंध में दावा दर्ज किए जाने तक जारी रहेगा, जो राशि के संबंध में निधि द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर या जोखिम अधिक मूल्य निर्धारण के संबंध शुल्क आधार/समय-समय पर निधि द्वारा संदर्भित तारीख पर या निर्दिष्ट दर पर ऐसी राशि के संबंध में निर्धारित हो, पर आधारित होगा, 5 मॉडल के संबंध में जोखिम आधारित गारंटी शुल्क संघटक अनुबंध में दिया गया है।

निर्धारण की तारीख से तीसरे वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार पोर्टफोलियो को अंतिम रूप से निर्धारित एवं समाप्त किया जाएगा। तीसरे वर्ष के अंत में समाप्त पोर्टफोलियो की शेष राशि को नया पोर्टफोलियो माना जाएगा और उधारदात्री संस्था के निर्णय पर उसे उस वर्ष के मौजूदा पोर्टफोलियो के साथ समेकित किया जा सकेगा।

ii. तिमाही समाप्त होने के 16 दिनों के भीतर गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा। एमएलए को तिमाही की समाप्ति के पश्चात 7 दिनों के भीतर एक प्रबंधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। तत्पश्चात एनसीजीटीसी द्वारा प्रबंध प्रमाणपत्र प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर एक ऋण गारंटी मांग अनुरोध टिप्पणी (सीजीडीएन) तैयार करेगा और तत्पश्चात सीजीडीएन के जारी होने के 3 दिनों के भीतर गारंटी शुल्क देय होगा।

iii. पोर्टफोलियो के अंतर्गत उन सभी मामलों जिनके संबंध में एमएलआई द्वारा गारंटी शुल्क का भुगतान किया गया है को ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा जो पात्र सूक्ष्म ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत ऋण खातों के अध्यक्षीन होंगे।

iv. निधि अपने विवेक से जोखिम आधारित मूल्यन अर्थात् भिन्न-भिन्न ऋणदात्री संस्थाओं के लिए भिन्न भिन्न गारंटी शुल्क प्रभारित कर सकती है, जो संबंधित एमएलआई के पोर्टफोलियो के कार्य-निष्पादन पर आधारित निधि के अनुभव के आधार पर उनकी क्रेडिट रेटिंग, एनपीए स्तर, दावा अदायगी अनुपात, भौगोलिक विस्तार, आदि तथा ऐसे ही अन्य मानदंडों पर आधारित होगा।

- v. परंतु यह और कि निर्धारित समय अथवा ऐसी शर्तों पर निधि द्वारा सहमत विस्तारित समय के भीतर गारंटी शुल्क का भुगतान न होने पर, ऐसी ऋण सुविधा की गारंटी के संबंध में उक्त निधि की देयता उन ऋण सुविधाओं के संबंध में समाप्त हो जाएगी, जिनके प्रति शुल्क देय है और उसका भुगतान नहीं किया गया है।
- vi. पात्र ऋणदात्री संस्था द्वारा देय गारंटी शुल्क के बराबर राशि इसके द्वारा अपने विवेकाधिकार से पात्र उधारकर्ता से वसूल की जा सकती है।
- vii. ऋणदात्री संस्था द्वारा एक बार उक्त निधि को अदा कर दिया गया गारंटी शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। इसकी वापसी अपवादस्वरूप केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकेगी :
 - अत्यधिक विप्रेषण
 - उसी पोर्टफोलियो के प्रति एक से अधिक बार किया गया विप्रेषण
 - शुल्क अग्रिम रूप से अदा कर दिया गया हो किंतु आवेदन उक्त योजना के अंतर्गत गारंटी कवर हेतु अनुमोदित न हो आदि

अध्याय IV

गारंटियों

9. गारंटी की सीमा

- i. 'प्रथम हानि 'पोर्टफोलियो गारंटी', स्वरूप में' जहां एमएलआई के निर्धारित पोर्टफोलियो की पहली चूक की 5% राशि का वहन एमएलआई द्वारा किया जाएगा और और इस कारण इसे दावा हेतु शामिल नहीं किया जाएगा। शेष भाग में से, गारंटी की सीमा पोर्टफोलियो में चूक की राशि के अधिकतम 50% तक या आनुपातिक आधार पर समय-समय पर निधि द्वारा निर्धारित प्रतिशतता तक होगी।
- ii. गारंटी कवर का आरंभ गारंटी शुल्क की अदायगी की तारीख होगा और यह गारंटी सूक्ष्म ऋण की समस्त अवधि तक या पोर्टफोलियो की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी, जो गारंटी युक्त पोर्टफोलियो के वार्षिक नवीकरण पर आधारित होगा।
- iii. एमएलआई संबंधी समग्र गारंटी भुगतान समय-समय पर निधि द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंड/अदायगी सीमा से सम्बद्ध होगा।

अध्याय V

दावे

10. गारंटी आहूत किया जाना

- (i) ऋणदात्री संस्था सूक्ष्म ऋणों के निर्धारित (क्रिस्टलाइज्ड) पोर्टफोलियो में से 6 चूक की राशि के संबंध में गारंटी को आहूत कर सकती है जो कि पोर्टफोलियो के निर्धारण (क्रिस्टलाइजेशन) की तिथि के 1 वर्ष के उपरांत तथा तदुपरांत प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर गारंटी की पहली क्षति की शर्त के अध्यक्षीन है।
- (ii) एमएलआई एक सांविधिक लेखापरीक्षक/प्रबंधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें इस बात की पुष्टि होगी कि अल्प ऋण के संबंध में ऋणदात्री संस्था को अदा की जाने वाली देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा देयताओं को ऋणदात्री संस्था द्वारा गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। बशर्ते कि ऋणदात्री संस्था उक्त अल्प ऋण के संबंध में निधि पर न तो कोई दावा करेगी अथवा न ही

करने की पात्र होगी। यदि उक्त ऋण सुविधा के संबंध में हुई हानि निधि द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत अथवा उल्लंघन में की गयी कार्रवाईयों/लिए गए निर्णयों के कारण हुई हो। प्रमाणपत्र में प्रथम हानि के संबंध में एमएलआई द्वारा वहन की गयी राशि के प्रतिशत का भी उल्लेख होगा।

- (iii) ऋणदात्री संस्था द्वारा दावा उस प्रकार और उतनी समय सीमा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो उस संबंध में निधि द्वारा विनिर्दिष्ट हो।
- (iv) निधि, ऋणदात्री संस्था द्वारा प्रस्तुत पात्र दावों का भुगतान 60 दिन के भीतर करेगा, बशर्ते दावे सही और सभी प्रकार से पूर्ण पाए जाते हैं। निधि, ऋणदात्री संस्था को 60 दिन से अधिक के विलम्ब की अवधि के लिए दावा राशि पर प्रचलित बैंक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। किसी दावे का भुगतान हो जाने पर ऐसा माना जाएगा कि निधि संबंधित उधारकर्ता के संबंध में लागू गारंटी के कारण अपनी सभी देयताओं से मुक्त हो गया है।
- v. यदि अल्प ऋण के मूल्यांकन/नवीकरण/अनुवर्तन/संचालन के मामले में कोई कमी रही हो अथवा दावे का प्रस्तुतीकरण एक से अधिक बार किया गया हो अथवा ऋणदात्री संस्था ने दावे के निपटान के संबंध में कोई तथ्यात्मक सूचना छिपाई हो तो ऋणदात्री संस्था, निधि द्वारा जारी की गई राशि और उसके संबंध में निधि द्वारा निर्दिष्ट दर से दण्डात्मक ब्याज की राशि लौटाने के लिए बाध्य होगी। ऋणदात्री संस्था उक्त दण्डात्मक ब्याज का भुगतान निधि द्वारा माँग किए जाने पर, निधि द्वारा प्रारंभिक दावा जारी करने की तारीख से लेकर दावा-राशि लौटाने तक की तारीख के लिए करेगी।

11. प्रदत्त दावों के कारण अधिकारों और वसूलियों का प्रत्यासन (सब्रगेशन)

- i. ऋणदात्री संस्था निधि को वसूली संबंधी अपने प्रयासों, वसूली और वह समस्त सूचना प्रदान करेगी जो उससे समय-समय पर माँगी जाए अथवा अपेक्षित हो।
- ii. वसूल की गई और निधि को देय समस्त राशि बिना किसी विलंब के निधि को अदा की जाएगी, और यदि निधि को देय कोई राशि जिस दिन पहली बार वसूल की गई थी, उस तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि के लिए अदत्त रहती है तो उस पर ऋणदात्री संस्था द्वारा निधि को प्रबंधन समिति द्वारा विनिर्दिष्ट दर से ब्याज अदा किया जाएगा।

अध्याय VI

प्रबंधन

संघटन

निधि की एक प्रबंध समिति होगी, जिसकी नियुक्ति निधि के अवस्थापकों द्वारा की जाएगी। सचिव, एमएसएमई इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, संयुक्त सचिव, डीएफएस (जो मुद्रा (सिडबी) बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक हो), अध्यक्ष मुद्रा (सिडबी) बैंक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुद्रा (सिडबी) बैंक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनसीजीटीसी इसके सदस्य सचिव / संयोजक होंगे तथा इस क्षेत्र के दो विशेषज्ञों को प्रबंधन समिति द्वारा सहयोजित किया जाएगा।

उक्त के अनुसार पदेन क्षमता में नियुक्त सदस्य, केवल तभी तक सदस्य रहेंगे, जब तक कि वे उस पद पर हों तथा उनके पद से हटने पर उनका उत्तरवर्ती अधिकारी बिना किसी कार्रवाई या प्रलेखन के सदस्य बन जाएगा।

अवस्थापक, यदि आवश्यक हो, तो किसी नए कॉर्पोरेट निकाय को शामिल करते हुए या अन्यथा प्रबंध समिति का संघटन बदल सकते हैं तथा तब तक प्रबंध समिति के मौजूदा सदस्य जारी रहेंगे।

इस निधि के सदस्य भारत के निवासी होंगे। किसी सदस्य के स्थाई रूप से भारत से बाहर जाने अथवा भारत सरकार के मत में बीमारी या अशक्तता के कारणों या दिमागी अक्षमता के कारण किसी सदस्य के इस पद पर कार्य करने में असक्षम या क्षमतारहित हो जाने पर, उस सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा। एक सहयोजित सदस्य सरकार को लिखित रूप में सात दिन का नोटिस देने के बाद किसी भी समय सेवा-निवृत्त हो सकता है और यदि वह प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नहीं है, नोटिस की एक प्रति अध्यक्ष को भी भेजी जाएगी।

प्रबंध समिति के प्रकार्य

प्रबंध समिति इस योजना की समीक्षा तथा व्यापक नीतिगत पहलुओं पर एनसीजीटीसी के निदेशक मंडल को अपेक्षित दिशानिर्देश उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार होगी। चूंकि एनसीजीटीसी में सभी संबंधित हितधारकों से प्रतिनिधि रहेंगे, अतः एनसीजीटीसी का निदेशक मंडल इस योजना के नीतिगत पहलुओं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी होगा।

अध्याय VII

विविध

1. गारंटी की मांग किए जाने के बाद ऋणदात्री संस्था को प्राप्त राशि का ऋण सुविधा के संदर्भ में राशि का विनियोजन

इस योजना के प्रावधानों के अनुसार चूक की राशि के प्रति ऋणदात्री संस्था को निधि द्वारा राशि जारी कर दिए जाने के बाद, यदि ऋणदात्री संस्था द्वारा जारी वसूली कार्यवाहियों के फलस्वरूप वह राशि की वसूली कर लेती है, तो ऐसी राशि निधि के पास जमा कराई जानी होगी। ऐसा करते समय ऋणदात्री संस्था द्वारा राशि की वसूली हेतु वहन की गई विधिक लागतों के प्रति समायोजन कर लिया जाएगा।

2. कतिपय मामलों में निधि के दायित्वों का समापन

- i. यदि इस योजना के अंतर्गत गारंटीकृत ऋण हेतु ऋणदात्री संस्था के प्रति किसी उधारकर्ता के दायित्व किसी अन्य उधारकर्ता को अंतरित या समनुदेशित किए जाते हैं तथा यदि उस उधारकर्ता की पात्रता की शर्तें तथा ऋण की राशि या अन्य कोई ऐसी निबंधन या शर्तें, जो योजना के अंतर्गत ऋण को गारंटी देने हेतु अनिवार्य हों, उक्त अंतरण या समनुदेशन के बाद संतुष्ट न होती हों, तो इस ऋण के संदर्भ में गारंटी ऐसे अंतरण या समनुदेशन की तिथि से समाप्त समझी जाएगी।
- ii. यदि कोई उधारकर्ता योजना के अंतर्गत ऋण मंजूर करने हेतु अपात्र हो जाता है, तो किसी ऋणदात्री संस्था द्वारा उसे मंजूर किए गए ऋण के संदर्भ में निधि का दायित्व, उधारकर्ता के इस प्रकार अपात्र होने की तिथि तक ऋणदात्री संस्था के प्रति उधारकर्ता के दायित्व तक सीमित होगा, बशर्ते, तथापि यह इस योजना के अंतर्गत निधि हेतु नियत दायित्व की सीमाओं तक हो।

3. विवरणियां एवं निरीक्षण

- i. ऋणदात्री संस्था ऐसी विवरणियां और सूचना प्रस्तुत करेगी, जैसी कि इस निधि को योजना के अंतर्गत गारंटी के संबंध में अपेक्षित हो।
- ii. ऋणदात्री संस्था निधि को ऐसे सभी दस्तावेज, रसीदें, प्रमाणपत्र एवं अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करेगी, जैसे कि निधि को अपेक्षित हों तथा यह पुष्टि मानी जाएगी कि इन दस्तावेजों, रसीदों, प्रमाणपत्रों व अन्य प्रलेखों की विषयवस्तुएं सत्य हैं, बशर्ते कोई दावा अस्वीकृत नहीं होगा तथा ऋणदात्री संस्था या इसके किसी अधिकारी के प्रति सद्भावना से किए गए किसी कार्य के प्रति कोई दायित्व आवद्ध नहीं होगा।

iii. जहां तक योजना के उद्देश्यों हेतु आवश्यक हो, निधि को यह अधिकार होगा कि वह अंतिम संस्था या ऋणदात्री संस्था के किसी उधारकर्ता का निरीक्षण कर सके अथवा लेखा बहियों की प्रतियां या अन्य अभिलेखों (अग्रिमों के संचलन के संबंध में सामान्य अनुदेशों वाली किसी अनुदेश पुस्तिका या मैनुअल या परिपत्र सहित) की मांग कर सके। ऐसा निरीक्षण निधि के अधिकारियों अथवा निधि द्वारा निरीक्षण के उद्देश्य से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। ऋणदात्री संस्था का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी या उधारकर्ता, जो ऐसा करने की स्थिति में हो, निधि के अधिकारियों या निरीक्षण हेतु नियुक्त कोई व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को लेखा पुस्तिकाएं व अन्य अभिलेख तथा सूचना उपलब्ध कराएंगे, जो भी उनके पास हों।

4. योजना के अंतर्गत लगाई गई शर्तों का ऋणदात्री संस्था पर बाध्यकारी होना

- i. निधि द्वारा दी गई कोई भी गारंटी योजना के प्रावधानों द्वारा इस प्रकार संचालित होगी, जैसे कि यह ऐसी गारंटी दिए जाने वाले दस्तावेजों में ही लिखा गया हो।
- ii. ऋणदात्री संस्था, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करेगी कि योजना के अंतर्गत गारंटीकृत किसी खाते से संबंधित किसी करार की शर्तें, इस योजना के प्रावधानों के विरुद्ध न हों, तथापि, किसी अन्य दस्तावेज या करार में किसी भी प्रावधान के बावजूद, ऋणदात्री संस्था निधि के संबंध में योजना के अंतर्गत लागू शर्तों से आवद्ध रहेगी।

5. आशोधन और छूट

(i) निधि को स्वयं इस योजना में आशोधन, निरस्तीकरण अथवा प्रतिस्थापन करने का अधिकार है, किन्तु फिर भी, ऐसे आशोधन, निरस्तीकरण अथवा प्रतिस्थापन के प्रभावी होने की तारीख तक योजना के अंतर्गत जारी की गई गारंटी से संबंधित अधिकार अथवा दायित्व इससे प्रभावित नहीं होंगे।

(ii) इसमें निहित किसी बात के होते हुए भी निधि को किसी ऐसे खाते के संबंध में निबंधन और शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार है, जिसमें ऐसे परिवर्तन की तारीख को किसी प्रकार की गारंटी का निर्गमन/आह्वान नहीं किया गया हो।

(iii) योजना के निरस्त होने की स्थिति में योजना के अंतर्गत कवर की गई सुविधाओं के संबंध में निधि का किसी दावे के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा, यदि ऋणदात्री संस्थाएँ योजना में दिए गए प्रावधानों को ऐसे निरस्तीकरण के लागू होने की तारीख से पहले अनुपालन नहीं करती हैं।

6. व्याख्या

योजना के किसी भी प्रावधान अथवा उसमें दिए गए किसी भी निर्देश या अनुदेश या स्पष्टीकरण की व्याख्या के बारे में यदि कोई प्रश्न उठता है, तो निधि का निर्णय अंतिम होगा।

7. अनुपूरक एवं सामान्य प्रावधान

ऐसे मामले, जिसका उल्लेख योजना में नहीं किया गया है, के संबंध में निधि को यह अधिकार होगा कि वह योजना के प्रयोजन हेतु आवश्यक ऐसे अनुपूरकों अथवा अतिरिक्त प्रावधानों को शामिल कर सके या ऐसे निर्देश या स्पष्टीकरण जारी कर सके।

[फा. सं. 27/04/2015-आई एफ-II वाल्यूम II]

पंकज जैन, संयुक्त सचिव (आई. एफ.)

संलग्नक**जोखिम आधारित गारंटी शुल्क घटक****1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक****मंजूर राशि की 1% मानक आधार दर (एसबीआर) ; तथा**

गारंटीकृत संविभाग में एनपीए पर जोखिम प्रीमियम		दावा भुगतान अनुपात पर जोखिम प्रीमियम	
एनपीए प्रतिशत	जोखिम प्रीमियम	दावा भुगतान अनुपात	जोखिम प्रीमियम
0-2%	शून्य	0-2%	शून्य
>2-3%	एसबीआर का 5%	>2-3%	एसबीआर का 5%
>3-6%	एसबीआर का 10%	>3-6%	एसबीआर का 10%
>6-9%	एसबीआर का 15%	>6-9%	एसबीआर का 15%
>9-12%	एसबीआर का 20%	>9-12%	एसबीआर का 20%
>12-15%	एसबीआर का 25%	>12-15%	एसबीआर का 25%

2. एमएफआई**मंजूर राशि की 1% मानक आधार दर (एसबीआर) ; तथा**

ऋण श्रेणीनिर्धारण / ग्रेड पर जोखिम प्रीमियम		गारंटीकृत संविभाग में एनपीए पर जोखिम प्रीमियम		दावा भुगतान अनुपात पर जोखिम प्रीमियम	
ऋण श्रेणीनिर्धारण/ ग्रेड	जोखिम प्रीमियम	एनपीए प्रतिशत	जोखिम प्रीमियम	दावा भुगतान अनुपात	जोखिम प्रीमियम
एमएफआर1/समकक्ष	शून्य	0-2%	शून्य	0-2%	शून्य
एमएफआर2/समकक्ष	एसबीआर से ऊपर 15%	>2-3%	एसबीआर का 5%	>2-3%	एसबीआर का 5%
एमएफआर3/समकक्ष	एसबीआर से ऊपर 30%	>3-6%	एसबीआर का 10%	>3-6%	एसबीआर का 10%
एमएफआर4/समकक्ष	एसबीआर से ऊपर 40%	>6-9%	एसबीआर का 15%	>6-9%	एसबीआर का 15%
एमएफआर5/समकक्ष	एसबीआर से ऊपर 50%	>9-12%	एसबीआर का 20%	>9-12%	एसबीआर का 20%
-	-	>12-15%	एसबीआर का 25%	>12-15%	एसबीआर का 25%

3. गैर बैंकिंग वित्त कंपनी

एनबीएफसी – एएफसीज एवं एलसीज

मंजूर राशि की 1% मानक आधार दर (एसबीआर) ; तथा

ऋण श्रेणीनिर्धारण / ग्रेड पर जोखिम प्रीमियम		गारंटीकृत संविभाग में एनपीए पर जोखिम प्रीमियम		दावा भुगतान अनुपात पर जोखिम प्रीमियम	
क्रेडिट रेटिंग/ ग्रेडिंग	जोखिम प्रीमियम	एनपीए प्रतिशत	जोखिम प्रीमियम	दावा भुगतान अनुपात	जोखिम प्रीमियम
एएए/ समतुल्य	शून्य	0-2%	शून्य	0-2%	
एए/ समतुल्य	एसबीआर से ऊपर 15%	>2-3%	एसबीआर का 5%	>2-3%	एसबीआर का 5%

ए/ समतुल्य	एसबीआर से ऊपर 30%	>3-6%	एसबीआर का 10%	>3-6%	एसबीआर का 10%
बीबीबी (+)/समतुल्य	एसबीआर से ऊपर 40%	>6-9%	एसबीआर का 15%	>6-9%	एसबीआर का 15%
बीबीबी (-)/समतुल्य	एसबीआर से ऊपर 50%	>9-12%	एसबीआर का 20%	>9-12%	एसबीआर का 20%
-	-	>12-15%	एसबीआर का 25%	>12-15%	एसबीआर का 25%

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – जोखिम आधारित गारंटी शुल्क घटक

मंजूर राशि की 1% मानक आधार दर (एसबीआर) ; तथा

गारंटीकृत संविभाग में एनपीए पर जोखिम प्रीमियम		दावा भुगतान अनुपात पर जोखिम प्रीमियम	
एनपीए प्रतिशत	जोखिम प्रीमियम	दावा भुगतान अनुपात	जोखिम प्रीमियम
0-2%	शून्य	0-2%	शून्य
>2-3%	एसबीआर का 10%	>2-3%	एसबीआर का 10%
>3-6%	एसबीआर का 20%	>3-6%	एसबीआर का 20%
>6-9%	एसबीआर का 30%	>6-9%	एसबीआर का 30%
>9-12%	एसबीआर का 40%	>9-12%	एसबीआर का 40%
>12-15%	एसबीआर का 50%	>12-15%	एसबीआर का 50%

5. सहकारी बैंक – जोखिम आधारित गारंटी शुल्क घटक

मंजूर राशि की 1.00% मानक आधार दर (एसबीआर) ; तथा

गारंटीकृत संविभाग में एनपीए पर जोखिम प्रीमियम		दावा भुगतान अनुपात पर जोखिम प्रीमियम	
एनपीए प्रतिशत	जोखिम प्रीमियम	दावा भुगतान अनुपात	जोखिम प्रीमियम
0-2%	शून्य	0-2%	शून्य
>2-3%	एसबीआर का 10%	>2-3%	एसबीआर का 10%
>3-6%	एसबीआर का 20%	>3-6%	एसबीआर का 20%
>6-9%	एसबीआर का 30%	>6-9%	एसबीआर का 30%
>9-12%	एसबीआर का 40%	>9-12%	एसबीआर का 40%
>12-15%	एसबीआर का 50%	>12-15%	एसबीआर का 50%

नोट:-

- प्रतिवर्ष सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) की गारंटी शुल्क की समीक्षा गत वित्तीय वर्ष की क्रेडिट रेटिंग/ग्रेडिंग/दावा भुगतान अनुपात के आधार पर की जाएगी। तदनुसार, सभी नए मामलों के संदर्भ में संशोधित अद्यतन शुल्क संरचना लागू होगी।
- कुल दावा भुगतान अनुपात की उच्चतम सीमा प्रारंभिक स्वीकृत गारंटी सीमा का 15% होगा, ताकि सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ लाभों का साम्यिक वितरण और सुदृढ़ ऋण प्रबन्धन सुनिश्चित कर सकें।

‘अधिलाभ दावा नहीं’ के लिए शुल्क संरचना में प्रोत्साहन / रियायतें अन्तर्निहित हैं। हालांकि, प्रारंभिक वर्षों में, जैसे कि 2-3 वर्षों में, चूँकि एनपीए/दावे का विवरण स्थापित नहीं किया गया है, अतः एनपीए के जोखिम प्रीमियम/दावा भुगतान अनुपात की गणना क्रेडिट रेटिंग/ग्रेडिंग के पैमाने के अनुरूप की जाएगी। प्रस्तावित प्रीमियम दरों/भार को बाजार की स्थितियों/कार्य-प्रणालियों / भारत सरकार की सहायता के आधार पर प्रबंधन समिति द्वारा बदला जा सकता है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April 2016

S.O. 1443(E).—In pursuance of the approval of the Cabinet vide its minutes of the meeting dated 6th January 2016, the Central Government hereby makes the following scheme for the purpose of providing guarantees to loans extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).

CHAPTER I

INTRODUCTION

1. Title and date of commencement

- i. The Scheme shall be known as the Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU).
- ii. It shall come into force from the date notified by the Government of India and micro loans sanctioned since 8th April, 2015 with features covered under the Scheme.
- iii. The broad objective of the Fund would be to guarantee loans up to the specified limit sanctioned by Banks / NBFCs / MFIs / other financial intermediaries engaged in providing credit facilities to eligible micro units.

2. Definitions

For the purposes of this Scheme –

- i. **"Fund"** means the Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) set up by Government of India with the purpose of guaranteeing payment against default in micro loans extended to eligible borrowers by Banks/NBFCs /MFIs / Other financial intermediaries, managed by the Board of NCGTC as the trustee of the Fund.
- ii. **"NCGTC"** means National Credit Guarantee Trustee Company set up on March 28, 2014 by Government of India under the Companies Act 1956 to act as the Trustee to operate various Credit Guarantee Funds, set up/to be set up by Government of India from time to time.
- iii. **"Portfolio"** means cumulative built up of quarterly outstanding balance of eligible micro loans sanctioned on or after the date of launching of PMMY; i.e. April 08, 2015, which have not been classified as a Non performing asset in the books of the lending institution. Portfolio, comprising the corresponding sanction amount, would get crystallized at the end of the financial year in which the portfolio is built up (base year). Accordingly, fresh portfolio would commence from the beginning of the subsequent financial year.
- iv. **"Base year of the portfolio"** means the year of inception and crystallization of the portfolio. In other words, the financial year in which the portfolio is built up.
- v. **"Date of crystallization of the portfolio"** is the end of the financial year (March 31) in which the portfolio is built up (base year).

- vi. **“Currency of the portfolio”** is 3 complete financial years from the end of the date of crystallization of the portfolio. Therefore, total period of currency of portfolio will be base year plus three complete financial years.
- vii. **"Amount in Default"** means the amount of Non-Performing Asset (NPA), as per Reserve Bank of India guidelines, which has remained NPA for a continuous period of 'more than 6 months' from the date of account turning NPA, within the crystallized portfolio of micro loans.
- viii. **“Interest Rate”** for a lending institution means the rate so declared by that lending institution from time to time as per Reserve Bank of India guidelines based on which interest rate applicable for the loan will be determined.
- ix. **“Borrower”** means micro unit who has executed loan documents with the lending institution to avail micro loan.
- x. **"Collateral security"** means the security provided in addition to primary security / personal obligation of borrower/co-borrower. Primary security would mean all the assets (movable/immovable) owned by the borrower, including the personal obligation [personal guarantee] of the borrower.
- xi. **"Micro Loan"** means any financial assistance by way of collateral free / third party guarantee free loan/limit (currently Rs.10 lakh), extended by the lending institution to the eligible borrower, as per the guidelines prescribed by the Fund. Under the aegis of Pradhan Mantri MUDRA Yojana, MUDRA Ltd. has already been created to support development and financing of micro loans. The schematic interventions of MUDRA Ltd. have been named 'Shishu', 'Kishor' and 'Tarun' to signify the stage of growth / development and funding needs of the beneficiary micro unit / entrepreneur and also provide a reference point for the next phase of graduation / growth. They are presently defined as under:
 - Shishu: covering loans upto 50,000/- (Interest rate as stipulated by Mudra; presently not to exceed 12% p.a.)
 - Kishor : covering loans above 50,000/- and upto 5 lakh
 - Tarun : covering loans above 5 lakh and upto 10 lakh

Further, Overdraft facility of Rs.5,000/- sanctioned under PMJDY accounts shall also be eligible to be covered under Credit guarantee Fund.

- xii. **"Eligible borrower"** means new or existing micro unit / enterprise as defined in the MSMED Act, 2006, who meets eligibility criteria prescribed by the Fund and whose credit requirement does not exceed the specified limit. Specified limit of the loan shall be Rs.10 lakh or such other amount as may be decided by the Fund from time to time. **Further, Overdraft loan amount of Rs.5,000/- sanctioned under PMJDY accounts shall also be eligible to be covered under Credit guarantee Fund.**
- xiii. **“Guarantee Cover”** means maximum cover available per portfolio, based on the amount in default, in respect of the credit facility extended by the lending institution. The first 5% of the amount in default will be borne by the eligible lending institution. The amount in default over and above 5% (if applicable) will be settled by the fund to the extent of 50% on pro-rata basis, subject to the receipt of an Auditors' certificate confirming eligible claim amount.
- xiv. **"Eligible Lending institution(s)"** means a Bank or a Micro Finance Institution (MFI) / Non-Banking Finance Company (NBFC) / other financial intermediary approved by Mudra Ltd. as member financial institutions.
- xv. **"Member Lending institution(s)"** means a Bank or a Micro Finance Institution (MFI) / Non-Banking Finance Company (NBFC) / other financial intermediary conforming to the eligibility criteria duly approved by the Fund, from time to time, engaged in the business of extending credit to micro units and who have entered into an agreement with the Fund for availing the guarantee. The Fund may, on review of performance, remove any of the lending institution from the list.
- xvi. **"Material Date"** means the date on which the guarantee fee on the amount covered in respect of eligible borrower becomes payable by the lending institution to the Fund.
- xvii. **"Non Performing Assets"** means an asset classified as a non-performing asset based on the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.

- xviii. **"Scheme"** means the Credit Guarantee Fund for Micro Units. Accordingly, all matters pertaining to the operations of CGSMU would be undertaken by NCGTC on behalf of the said Fund Trust.

CHAPTER II

SCOPE AND EXTENT OF THE SCHEME

3. Guarantees by the Fund

- i. Subject to the other provisions of the Scheme, the Fund undertakes, in relation to loans extended to an eligible micro unit by a lending institution which has entered into the necessary agreement for this purpose with the Fund, to provide guarantee against default in repayment of micro loans extended by the lending institutions.
- ii. The Fund reserves the discretion to accept or reject any proposal referred by a lending institution which otherwise satisfies the norms of the Scheme.

4. Micro loans eligible under the Scheme :

The Fund shall cover micro loans up to the specified limit (currently Rs.10 lakh) extended by Member Lending Institution(s) to an eligible borrower, provided that the lending institution applies for guarantee cover in respect of such loans so sanctioned within such time period and as per procedures prescribed by the Fund for the purpose. **Further, Overdraft loan amount of Rs.5,000/- sanctioned under PMJDY accounts shall also be eligible to be covered under Credit guarantee Fund.**

It may be noted that micro loans under PMMY inclusive of overdraft under PMJDY, sanctioned since 8th April 2015 would qualify for guarantee cover under the scheme.

The Fund may, at its discretion, approve/frame a list of Member Lending Institutions and /or their schemes, for which the guarantee cover will be available, or a negative list for which the guarantee cover shall not be available.

5. Micro Loans not eligible under the Scheme

The following micro Loans shall not be eligible for being guaranteed under the Scheme: -

- i. Any micro Loan in respect of which risks are additionally covered under a scheme operated / administered by any other institution, to the extent they are so covered.
- ii. Any micro Loan in respect of which risks are additionally covered by Government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity, to the extent they are so covered.
- iii. Any micro Loan, which does not conform to, or is in any way inconsistent with, the provisions of any law, or with any directives or instructions issued by the Central Government or the Reserve Bank of India, which may, for the time being, be in force.
- iv. Any loan which has been sanctioned by the lending institution not conforming to interest rates as may be prescribed for such loans by the competent regulatory authority or such other rate as may be specified by the Fund from time to time will not qualify for guarantee cover. However, the Fund may revise such ceiling from time to time keeping in view the prevailing interest rate scenario, bank rates of lending institutions and RBI's Credit Policies, from time to time.

6. Agreement to be executed by the lending institution

A lending institution shall not be entitled to a guarantee in respect of eligible Micro Loan granted by it unless it has submitted an undertaking with the Fund in such form as may be required by the Fund for covering by way of guarantee, under the Scheme all the eligible Micro Loans granted by the lending institution, for which provision has been made in the Scheme.

7. Responsibilities of lending institution under the Scheme:

- i. The lending institution shall evaluate Micro Loans in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India / the Fund and conduct the account(s) of the borrowers with normal lending prudence.
- ii. The lending institution shall pool all its outstanding micro loans extended against sanctions effected on or after April 08, 2015 as at the end of a quarter (quarter ended March, June, September and

- December) as part of the portfolio during the base year and ensure to submit the information required by NCGTC for giving guarantee cover with regard to the micro borrowal account during the currency of the portfolio.
- iii. The MLI would need to furnish a Statutory Auditor Certificate/ Management Certificate as prescribed by the Fund from time to time, certifying the following:
- (a) All accounts in the portfolio conform to eligible micro loans sanctioned after the date of April 08, 2015.
 - (b) All accounts covered in the initial portfolio as well as new accounts added in the portfolio subsequently, are standard accounts.
 - (c) All accounts which have turned NPA within the portfolio and for which claim has not been lodged have to be included in the portfolio on which the guarantee fee is payable.
- iv. The statutory auditor/management shall certify the amount of non-performing asset of the crystallized portfolio as on the date of March 31 every year, by the second quarter of every financial year from the date of crystallization of the portfolio, during the currency of the portfolio.
- v. The lending institution shall closely monitor the borrower account and follow up for repayment.
- vi. The payment of guarantee claim by the Fund to the lending institution does not in any way take away the responsibility of the lending institution to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower with applicable interest. The lending institution shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of micro loan owed to it and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by the Fund.
- vii. The lending institution shall comply with such directions as may be issued by the Fund, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a credit guarantor, as the Fund may deem fit and the lending institution shall be bound to comply with such directions.
- viii. The lending institution shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Fund in all the ways open to it as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Fund. The lending institution shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Fund as the guarantor. In particular, the lending institution should intimate the Fund while entering into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of personal guarantee(s) or primary security. Further, the lending institution shall secure for the Fund or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to publish the defaulted borrowers' names and particulars by the Fund.
- ix. The lending institution shall provide the performance review of the portfolio at the transaction level as at the end of every financial year, including base year, in the manner as prescribed by the Fund.

CHAPTER III

FEE STRUCTURE

8. Guarantee Fee

- i. For availing the guarantee coverage, the Member Lending Institution shall pay guarantee fee as under:
- a) During the base year (year of portfolio built-up) – Guarantee fee will be paid on the sanctioned amount corresponding to the outstanding balance of the quarterly built up balance of the portfolio of micro loans for the full year or the broken period i.e. till March 31 of the subsequent year, as the case may be, and the Guarantee will be valid upto the end of that financial year. It may be noted that for such sanctioned cases which have been cancelled/repaid/pre-paid/taken over during the currency of the portfolio, no guarantee fee shall be charged for such sanctioned cases in the portfolio and no guarantee cover would be applicable.

- b) During subsequent years - The guarantee fee will be paid on the sanctioned amount corresponding to the outstanding balance (including on accounts which have turned NPA) of the crystallized portfolio during the currency of the portfolio and Guarantee will be valid upto the end of that financial year. Guarantee fee with respect to NPA accounts in the portfolio would continue to be paid till lodgment of claim for such accounts, at a rate specified by the Fund on the amount or fee based on risk based pricing / such other amount on such reference dates or specified rate set by the Fund from time to time (risk based guarantee fee components given at Attachments in respect of 5 Models).

The portfolio as at the end of third year from the date of crystallization will be finally settled and terminated. The outstanding balance of the terminated portfolio at the end of the third year will be deemed to be a new portfolio and could be merged with the current portfolio of that year at the discretion of the lending institution.

- ii. Guarantee fee shall be paid within 16 days from the end of the quarter. (The MLI would need to furnish a Management Certificate within 7 days from the end of the quarter, after which, a Credit Guarantee Demand Advice Note [CGDAN] would be issued by NCGTC within 3 day of receipt of Management Certificate and subsequently, the guarantee fee shall be payable within 3 days from the issue of CGDAN)
- iii. All cases within the portfolio for which the guarantee fee has been paid by MLI, would be covered under the credit guarantee scheme subject to the loan accounts within the portfolio being eligible micro loans.
- iv. The Fund may at its discretion, charge risk based pricing i.e., different guarantee fees for different Member Lending Institutions depending on their credit rating, NPA levels, claim payout ratio, geographical spread, etc.; or such other parameters as per the experience of the Fund based on the performance of the portfolios of the respective MLIs.
- v. Provided further that in the event of non-payment of guarantee fee within the stipulated time or such extended time that may be agreed to by the Fund on such terms, liability of the Fund to guarantee such credit facility would lapse in respect of those credit facility against which the fee is due and not paid.
- vi. The amount equivalent to the guarantee fee payable by the eligible lending institution may be recovered by it, at its discretion from the eligible borrower.
- vii. The guarantee fee once paid by the lending institution to the Fund shall be non-refundable, except under certain circumstances like.
 - Excess remittance,
 - Remittance made more than once against the same portfolio,
 - Fee paid in advance but application not approved for guarantee cover under the scheme, etc.

CHAPTER IV

GUARANTEES

9. Extent of the guarantee

- i. In the nature of 'First Loss Portfolio Guarantee', wherein first loss to the extent of 5% of the crystallized portfolio of the MLI, will be borne by the MLI and therefore, will be excluded for the claim. Out of the balance portion, the 'extent of guarantee' will be to a maximum extent of 50% of 'Amount in Default' in the portfolio or such other percentage as may be specified by the Fund from time to time on a pro-rata basis.
- ii. The guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the repayment of Micro loan or the termination date of the portfolio, whichever is earlier, subject to yearly renewal of the guaranteed portfolio.
- iii. The overall guarantee payout for an MLI would be linked to exposure norms/payout caps as may be specified by the Fund from time to time.

CHAPTER V**CLAIMS****10. Invocation of guarantee**

- i. The lending institution may invoke the guarantee in respect of the 'amount in default' out of the crystallized portfolio of micro loans, subject to the condition of first loss guarantee, after 1 year from the date of crystallization of the portfolio and thereafter, at the end of every financial year.
- ii. The MLI shall furnish a statutory auditor/management certificate confirming that the amount due and payable to the lending institution in respect of the micro loan has not been paid and the dues have been classified by the lending institution as Non Performing Asset. Provided that the lending institution shall not make or be entitled to make any claim on the Fund in respect of the said micro loan if the loss in respect of the said credit facility had occurred owing to actions / decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by the Fund. The certificate shall also mention the percentage of the amount in default borne by the MLI towards first loss.
- iii. The claim should be preferred by the lending institution in such manner and within such time as may be specified by the Fund in this behalf.
- iv. The Fund shall pay eligible claim amount on preferring of claims by the lending institution, within 60 days, subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects. The Fund shall pay to the lending institution interest on the eligible claim amount at the prevailing Bank Rate for the period of delay beyond 60 days. On a claim being paid, the Fund shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the guarantee in force in respect of the borrower concerned.
- v. The lending institution shall be liable to refund the claim released by the Fund together with penal interest at the rate stipulated by the Fund, if such a recall is made by the Fund in the event of deficiencies having existed in the matter of appraisal / renewal / follow-up / conduct of the micro loan or where lodgment of the claim was more than once or where there existed suppression of any material information on part of the lending institutions for the settlement of claims. The lending institution shall pay such penal interest, when demanded by the Fund, from the date of the initial release of the claim by the Fund to the date of refund of the claim.

11. Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid

- i. The lending institution shall furnish to the Fund, the details of its efforts for recovery, realizations and such other information as may be demanded or required from time to time.
- ii. Every amount recovered and due to be paid to the Fund shall be paid without delay, and if any amount due to the Fund remains unpaid beyond a period of 30 days from the date on which it was first recovered, interest shall be payable to the Fund by the lending institution at the rate stipulated by the Management Committee for the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of 30 days.

CHAPTER VI**MANAGEMENT****Constitution**

The Fund shall have a Management Committee to be appointed by the Settlor of the Fund consisting of Secretary, MSME as the ex-officio Chairperson; Chairman, MUDRA (SIDBI) Bank; Joint Secretary, DFS; Chief Executive Officer, MUDRA (SIDBI) Bank; Chief Executive Officer, NCGTC as Member Secretary / Convenor and two experts in the field to be co-opted by the Managing Committee.

A member appointed as above in his/her ex-officio capacity shall remain as a member only as long as he/she holds that office and upon his/her vacating that office, his/her successor shall become a member without any further act or deed.

The Settlor may, if required, change the constitution of the Management Committee by incorporating a new corporate entity or otherwise and till such time the existing members of the Management Committee will continue.

The member of the Fund shall be resident of India. The office of the member shall be vacated if he shall permanently leave India or if for reasons of illness or infirmity or mental incapacity he, in the opinion of the Government, becomes incompetent or incapable to act, as Member.

A member may retire at any time after giving seven days' notice in writing to the Government and unless he is the Chairperson of the Management Committee, a copy of the notice shall also be sent to Chairperson.

Functions of Management Committee (MC)

The M.C. will be responsible for reviewing the Scheme and providing necessary guidance to the Board of NCGTC on the matters related to the Fund. The Board of NCGTC would be the competent authority related to all the policy and operational matters of the Scheme.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

1. Appropriation of amount realized by the lending institution in respect of a credit facility after the guarantee has been invoked.

Where subsequent to the Fund having released a sum to the lending institution towards the amount in default in accordance with the provisions contained in this scheme, the lending institution recovers money subsequent to the recovery proceedings initiated by it, the same shall be deposited by the lending institution with the Fund, after adjusting towards the legal costs incurred by it for recovery of the amount.

2. Fund's liability to be terminated in certain cases

- (i) If the liabilities of a borrower to the lending institution on account of Loan guaranteed under this Scheme are transferred or assigned to any other borrower and if the conditions as to the eligibility of the borrower and the amount of the Loan and any other terms and conditions, if any, subject to which the Loan can be guaranteed under the Scheme are not satisfied after the said transfer or assignment, the guarantee in respect of the Loan shall be deemed to be terminated as from the date of the said transfer or assignment.
- (ii) If a borrower becomes ineligible for being granted Loan under the Scheme, the liability of the Fund in respect of Loan granted to him by a lending institution under the Scheme shall be limited to the liability of the borrower to the lending institution as on the date on which the borrower becomes so ineligible, subject, however, to the limits on the liability of the Fund fixed under this Scheme.

3. Returns and Inspections

- (i) The lending institution shall submit such statements and furnish such information as the Fund may require in connection with guarantee under this Scheme.
- (ii) The lending institution shall also furnish to the Fund all such documents, receipts, certificates and other writings as the latter may require and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the lending institution or any officer thereof for anything done in good faith.
- (iii) The Fund shall, insofar as it may be necessary for the purposes of the Scheme, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances) of the lending institution, and of any borrower from the lending institution. Such inspection may be carried out through the officers of the Fund or any other person appointed by the Fund for the purpose of inspection. Every officer or other employee of the lending institution or the borrower, who is in a position to do so, shall make available to the officers of the Fund or the person appointed for the

inspection as the case may be, the books of account and other records and information which are in his possession.

4. Conditions imposed under the Scheme to be binding on the lending institution

- i. Any guarantee given by the Fund shall be governed by the provisions of the Scheme as if the same had been written in the documents evidencing such guarantee.
- ii. The lending institution shall as far as possible ensure that the conditions of any contract relating to an account guaranteed under the Scheme are not in conflict with the provisions of the Scheme but notwithstanding any provision in any other document or contract, the lending institution shall in relation to the Fund be bound by the conditions imposed under the Scheme.

5. Modifications and exemptions

- i. The Fund reserves to itself the right to modify, cancel or replace the scheme so, however, that the rights or obligations arising out of, or accruing under a guarantee issued under the Scheme up to the date on which such modification, cancellation or replacement comes into effect, shall not be affected.
- ii. Notwithstanding anything herein contained, the Fund shall have a right to alter the terms and conditions of the Scheme in regard to an account in respect of which guarantee has not been issued / invoked as on the date of such alteration.
- iii. In the event of the Scheme being cancelled, no claim shall lie against the Fund in respect of facilities covered by the Scheme, unless the provisions contained in the Scheme are complied with by the lending institution prior to the date on which the cancellation comes into force.

6. Interpretation

If any question arises in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions or instructions or clarifications given in connection therewith, the decision of the Fund shall be final.

7. Supplementary and general provisions

In respect of any matter not specifically provided for in this Scheme, the Fund may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the Scheme.

[F. No. 27/04/2015-IF-II (Vol.II)]

PANKAJ JAIN, Jt. Secy. (IF)

Attachment

Risk Based Guarantee Fee components

1. Scheduled Commercial Banks (SCBs)

Standard Basic Rate (SBR) of 1.00% of sanctioned amount ; and

Risk premium on NPAs in guaranteed portfolio		Risk premium on Claim Payout Ratio	
NPA Percentage	Risk Premium	Claim Payout Ratio	Risk Premium
0-2%	Nil	0-2%	Nil
>2-3%	5% of SBR	>2-3%	5% of SBR
> 3-6%	10% of SBR	> 3-6%	10% of SBR
>6-9%	15% of SBR	>6-9%	15% of SBR
>9-12%	20% of SBR	>9-12%	20% of SBR
>12-15%	25% of SBR	>12-15%	25% of SBR

2. Micro Finance Institutions (MFIs)

Standard Basic Rate (SBR) of 1.00% of sanctioned amount ; and

Risk premium on Credit Rating / Grading		Risk premium on NPAs in guaranteed portfolio		Risk premium on Claim Payout Ratio	
Credit Rating / Grading	Risk Premium	NPA Percentage	Risk Premium	Claim Payout Ratio	Risk Premium
mfR1 / equiv.	Nil	0-2%	Nil	0-2%	Nil
mfR2 / equiv.	15% over SBR	>2-3%	5% of SBR	>2-3%	5% of SBR
mfR3 / equiv.	30% over SBR	> 3-6%	10% of SBR	> 3-6%	10% of SBR
mfR4 / equiv.	40% over SBR	>6-9%	15% of SBR	>6-9%	15% of SBR
mfR5 / equiv.	50% over SBR	>9-12%	20% of SBR	>9-12%	20% of SBR
-	-	>12-15%	25% of SBR	>12-15%	25% of SBR

3. Non Banking Financial Companies (NBFCs)

{Asset Finance Company (AFC) and Loan Company (LC)}

Standard Basic Rate (SBR) of 1.00% of sanctioned amount ; and

Risk premium on Credit Rating / Grading		Risk premium on NPAs in guaranteed portfolio		Risk premium on Claim Payout Ratio	
Credit Rating / Grading	Risk Premium	NPA Percentage	Risk Premium	Claim Payout Ratio	Risk Premium
AAA / equiv.	Nil	0-2%	Nil	0-2%	Nil
AA / equiv.	15% over SBR	>2-3%	5% of SBR	>2-3%	5% of SBR
A / equiv.	30% over SBR	> 3-6%	10% of SBR	> 3-6%	10% of SBR
BBB (+) / equiv.	40% over SBR	>6-9%	15% of SBR	>6-9%	15% of SBR
BBB (-) / equiv.	50% over SBR	>9-12%	20% of SBR	>9-12%	20% of SBR
-	-	>12-15%	25% of SBR	>12-15%	25% of SBR

4. Regional Rural Banks (RRBs)

Standard Basic Rate (SBR) of 1.00 % of sanctioned amount ; and

Risk premium on NPAs in guaranteed portfolio		Risk premium on Claim Payout Ratio	
NPA Percentage	Risk Premium	Claim Payout Ratio	Risk Premium
0-2%	Nil	0-2%	Nil
>2-3%	10% of SBR	>2-3%	10% of SBR
> 3-6%	20% of SBR	> 3-6%	20% of SBR

>6-9%	30% of SBR	>6-9%	30% of SBR
>9-12%	40% of SBR	>9-12%	40% of SBR
>12-15%	50% of SBR	>12-15%	50% of SBR

5. Cooperative Banks

Standard Basic Rate (SBR) of 1.00 % of sanctioned amount ; and

Risk premium on NPAs in guaranteed portfolio		Risk premium on Claim Payout Ratio	
NPA Percentage	Risk Premium	Claim Payout Ratio	Risk Premium
0-2%	Nil	0-2%	Nil
>2-3%	10% of SBR	>2-3%	10% of SBR
> 3-6%	20% of SBR	> 3-6%	20% of SBR
>6-9%	30% of SBR	>6-9%	30% of SBR
>9-12%	40% of SBR	>9-12%	40% of SBR
>12-15%	50% of SBR	>12-15%	50% of SBR

Note :-

- The Guarantee Fee for all MLIs shall be reviewed each year based on Credit Rating / Grading and Claim payout ratio of previous financial year. Accordingly, revised updated fee structure will be applicable for all fresh cases.
- **The total claim payout ratio would be capped at 15% of the original sanctioned guarantee limit with a view to ensure equitable distribution of benefits and sound credit management by MLIs.**

The Fee structure has in-built incentive / rebate for “No Claim Bonus”. However, as in initial years, say first 2-3 years, since NPA / claims history would not have been established, risk premium for NPA / claim payout ratio shall be calculated in the same scale corresponding to credit rating / grading. The premium rates / weights proposed may be changed by Management Committee based on market conditions / practices / support from Government of India.